**भारत सरकार**

**पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*12**

**24.11.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**निर्मल भारत अभियान के लिए दिशा-निर्देश**

**\*12- Mkñ dsñohñihñ jkepUnz jko %**

**D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

¼d½ D;k ^fueZy Hkkjr vfHk;ku\* ds fy, fn'kkfunsZ'k tkjh dj fn;s x, gSa(

¼[k½ ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼x½ LoPNrk ds laca/k esa ^fueZy Hkkjr vfHk;ku\* dk y{; D;k gS( vkSj

¼?k½ rRlaca/kh orZeku fLFkfr D;k gS\

**उत्तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्द्र सिंह)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या \*12 के उत्‍तर में उल्‍ल‍िखि‍त विवरण**

(क) और (ख) जी, हाँ। निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के दिशा-निर्देश दिनांक 17.8.2012 को जारी किए गए थे तथा उन्हें मंत्रालय की वैबसाइट पर भी डाल दिया गया है। दिशा-निर्देशों में परिणामों के रूप में “निर्मल ग्राम” सहित संपूर्ण समुदायों में चरणबद्ध, संतृप्तिकरण मोड में स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान सहित सतत् व्यवहार परिवर्तन की परिकल्पना की गई है।

(ग) निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए शत-प्रतिशत स्वच्छता सुविधा प्राप्त करना है।

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार, **40.60%** ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*\*